न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला (RAS)
राजस्व वाद संख्या 66/2010

1. श्री शिवदयाल पुत्र स्व0 गोकुलचन्द उम्र बालिग जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. श्रीविष्णुदत्तपुत्र गोकुलचन्द उम्र बालिग जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा जिला अजमेर। .....वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
.....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 04.05.2017

वादीगण ने अपने इस वाद में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाडी तहसील मसूदा हाल बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 435 रक्बा 4–07–00 बीघा जिसका रक्बा 1–02–00 बीघा कम करके सरकारी ख0 न0 432 में दर्शाया गया है जबकि जमाबंदी में ख0 न0 435 का रक्बा 4–07–00 बीघा पूरा दर्शाया गया है नक्शे में कम होने से रक्बा 1–02–00 बीघा बाबत् तहसील बिजयनगर धारा 91 LR ACT में नोटिस देतें है। ख0 न0 435 व 432 साबिक न0 343 की आराजी से बने है। अतः वाद स्वीकार कर ख0 न0 432 सरकारी भूमिका 1–02–00 बीघा ख0 न0 435 में सम्मलित किये जाने की घोषणा की जावे।

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी ने निवेदन किया कि ख0 न0 432 रक्बा 1–02–00 सरकारी सिवाय चक भूमि है जिसमें किसी प्रकार से खातेदार होने की घोषणा नही कि जा सकती। भूमि आंवटन नियम 1970 बने हुए है। वाद वादी खारिज किया जावें।

वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस के तर्क वितर्क सुने गये गवाहान के बयानो के साथ साथ पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बाडी की सं0 2065 – 68 की जमाबंदी के खाता स0 417 में ख0 न0 435/1 का रक्बा 2–02–10 बीघा वादी शिवदयाल के नाम तथा खाता स0 387 के अनुसार ख0 न0 435/2 रक्बा 2–04–10 वादी 2 विष्णुदत्त के नाम खातेदारी मे चला आता है इस प्रकार दोनों ख0 नम्बरान का तनकियात का निम्न प्रकार तय किया जाता है–

तनकी 1 आया वादीगण मौजा बाडी के ख0 न0 435 की जमाबंदी में दर्ज रक्बा अनुसार नक्शा ट्रेस में 1 बीघा 2 बिस्वा कम होकर सरकारी दर्ज है की खातेदारी दुरस्ती कराने के अधिकारी है?

तनकी 2 आया वादीगण उपरोक्त स्थिति के कारण प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी **है?**

इन दोनों तनकियात को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रहा है उनके तर्क है कि विवादित आराजी का जमाबंदी मे ख0 न0 435/1 व 435/2 से रक्बा 4–06–10 बिस्वांसी सही दर्ज किया गया है लेकिन नक्शा ट्रेस में इसके 1–02–00 बीघा रक्बे का ख0 न0 432 में मिला दिया गया है जबकि वादीगण का कब्जा काश्त 4–06–10 बीघा पर चला आता है। तहसीलदार बिजयनगर 1–02–00 बाबत् नोटिस देते है जबकि विधिक रूप से हम इसमें खातेदार हैं। जमाबंदी के अनुसार वादीगण के कथन सर्वथा सही है और व ख0 न0 432 की 1–02–00 बीधा भूमि में खातेदार होने की घोषणा करवाने तथा सरकारी खाते से कम करवा कर नक्शा दुरूस्ती के अधिकारी पाये जाते है एसी स्थिति में वादीगण स्वतः ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी हो जाते है। तनकी बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी 3 आया प्रतिवादी अपने प्रतिवाद पत्र में दर्शित कारणों के आधार पर वाद खारिज कराने के अधिकारी है?

इसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर रहा है और उसमें केवल मात्र नक्शा ट्रेस के आधार अपने प्रतिवादी पत्र में कथन किये है कि आराजी ख0 न0 432 रक्बा 1–02–00 बीघा सरकारी सिवाय चक भूमि है जिससे बेदखल करने के उसे पूर्ण अधिकार है। वादीगण इसके आवंटन के लिए भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत चाराफोई कर सकते है। इसके विपरीत जमाबंदी में वादीगण ख0 न0 435 रक्बा 4–06–10 के खातेदार है। ख0 न0 432 एवं 435 साबिक ख0 न0 343 की आराजी से बने है। ख0 न0 432 नक्शे अनुसार बडा नम्बर है तथा उसका मिलान क्षेत्रफल के अनुसार रक्बा 5–03–00 बीघा है इसलिए विवादित आराजी का 1–02–00 बीघा रक्बा इसमें सम्मिलित होना पाया जाता है। प्रतिवादी तनकी साबित करने से कासिर रहा है अतः बहक वादीगण तय की जाती है।

अनुतोष?

प्रकरण में कायम तनकियात के तय करने पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया गया अतः स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 432 की आराजी 1–02–00 बीघा भूमि वादीगण की आराजी ख0 न0 435 का भाग है जो पूर्व से जमाबंदी अनुसार इसमें सम्मिलित चली आ रही है अतः तहसीलदार बिजयनगर राजस्व नक्शे में ख0 न0 435 का रक्बा 4–06–10 बीघा तरमीम करे। प्रतिवादी को वादीगण के विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जेकाश्त में दखलंदाजी कार्यवाही बेदखली आदि से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 16:50:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: